उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

"सरस मित्र" पंजीयन फार्म

प्रार्थी का नाम :– ....

पिता/पति का नाम :– ....

दूरभाष/मोबाईल नं. :– ....

आधार कार्ड नं. :– ....

(छायाप्रति संलग्न करे)

1. आवेदक का पता :– ....

2. स्थायी पता :– ....

(स्थायी पते का प्रमाण पत्र–मूल निवास/राशन कार्ड/वोटर आईडी/अन्य ....)

डेयरी बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर का कोड़ संख्या मय पूर्ण पता :– ....
.... मोबाईल नं. ....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर धारक के हस्ताक्षर)

नये सरस मित्र द्वारा अनुमानित होम डिलिवरी की संभावना के क्रम में टिप्पणी :–

हस्ताक्षर क्षेत्रीय प्रभारी/संविदा कार्मिक

हस्ताक्षर प्रभारी(विपणन)

<u>केवल कार्यालय उपयोग हेतु</u>

प्रार्थी का नाम :– .... पंजीयन संख्या ....

पंजीयन राशि :– .... डीडी संख्या : .... दिनांक : ....

बैंक का नाम : .... संघ रसीद नम्बरः .... दिनांक : ....

हस्ताक्षर
(संघ अधिकृत अधिकारी)

(100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ पत्र "सरस मित्र"

मैं. नाम .... पिता का नाम ....

मकान नं. .... निवासी ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं नीचे लिखी सभी शर्तों की पालना करूँगा/करूँगी।

1. मैं दैनिक दूध एवं दुग्ध उत्पाद की डिमाण्ड समय पर अपने अधिकृत रिटेलर को लिखाऊगा।
2. मैं. दैनिक दूध एवं दुग्ध उत्पाद की राशि अपने रिटेलर को समय पर जमा कराने के लिये बाध्य रहूंगा।
3. मैं. रिटेलर से प्राप्त दूध एवं उत्पाद को उपलब्ध करवाये गये इन्सुलेटेड़ बॉक्स में रख कर विक्रय करूंगा।
4. मैं. रिटेलर से प्राप्त दूध के खाली केट समय पर वापस करूँगा।
5. मेरे द्वारा सरस पैक्ड़ दूध एवं उत्पादों की उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी की जावेगी, इस हेतु बूथ धारक से प्राप्त मार्जिन के अतिरिक्त संघ द्वारा निर्धारित मार्जिन रू0 1/– प्रति लीटर से अतिरिक्त मार्जिन उपभोक्ता से नहीं लूँगा।
6. मैं दूध/वितरण/विक्रय का कार्य संघ द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगा।
7. मैं केवल सरस के दूध एवं दूध उत्पाद ही विक्रय करूंगा अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड का व्यापार नहीं करूंगा। यदि अन्य ब्राण्ड़ के व्यापार में लिप्त पाया जाता हूँ तो डेयरी प्रबंध संचालक महोदय को मेरी सब रिटेलरशीप समाप्त करने का अधिकार होगा।
8. मैं स्वंय के व्यय पर फूड़ लाईसेंस प्राप्त करूंगा। मैं सभी राजकीय कानूनों/नियमों की पालना करने के लिये हमेशा जिम्मेदार रहूँगा।
9. मैं उपभोक्ताओं को बेहतर सेवायें देने एवं संघ/उपभोक्ताओं के हित में किसी भी शर्त में परिवर्तन/निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक को देने पर सहमति प्रदान करता हूँ।
10. मैं समय–समय पर संघ द्वारा प्रकाशित दूध एवं दुग्ध उत्पाद मूल्य सूची की पालना करूँगा।
11. भविष्य में यदि सरस मित्र की एजेंसी समाप्त करने से पूर्व डेयरी से प्राप्त इन्सुलेटेड़ बॉक्स व अन्य सामान डेयरी में जमा करवा दूँगा तथा रिटेलर से अबकाया प्रमाण पत्र प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सुरक्षा राशि लेने का विकल्प दूँगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

सरस मित्र बनाने की प्रकिया

जिला दुग्ध संघों के स्तर पर निम्न प्रक्रियानुसार सरस मित्र बनाया जाना है:—

1. संबंधित जिला दुग्ध संघ निर्धारित प्रपत्र में इच्छुक आवेदकों से पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे। आवेदन पत्र संबंधित दुग्ध संघ से प्राप्त कर आवेदनकर्ता को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरण का क्षेत्र एवं जिस डेयरी बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर के माध्यम से वह वितरण कार्य करना चाहता है उसका विवरण अंकित करना होगा। सफल आवेदक द्वारा रू0 1000/— की सुरक्षा राशि संबंधित दुग्ध संघ में जमा करवानी होगी।
2. पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी पश्चात् सफल आवेदकों को एक डेयरी बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर से जोड़ा जावेगा।
3. वर्तमान में कुछ दुग्ध संघो के कार्यक्षैत्र में सरस मित्र कार्यरत है जो कि डेयरी बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर से जुडे हुए है ऐसे सरस मित्रो हेतु संबंधित बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर से प्रस्ताव लिया जावेगा। पूर्व में कार्यरत सरस मित्र भी इसी पॉलिसी से संचालित होंगे।
4. वर्तमान में कार्यरत डेयरी बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर संचालनकर्ता के माध्यम से सरस मित्र हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को वरियता दी जायेगी।
5. सरस मित्र उनसे जुडे हुए डेयरी बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद अग्रिम भुगतान से प्राप्त कर अपने वितरण क्षैत्र में वितरित करेगा जिस हेतु संबंधित डेयरी बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर संचालनकर्ता द्वारा अपने मार्जिन मेंसे 50 प्रतिशत की राशि सरस मित्र को दी जावेगी। सरस मित्र द्वारा दुग्ध उत्पादों की होम डिलिवरी से संबंधित डेयरी बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर की बिक्री बढ़ने से उन्हे अतिरिक्त लाभ होगा।
6. सरस मित्र अपने क्षैत्र की दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की मांग (Demand) संबंधित डेयरी बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर को एक दिवस पूर्व देगा ताकि संबंधित डेयरी बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर संचालनकर्ता डेयरी में समय पर उक्त उत्पादों की बुकिंग करवा सके।
7. सरस मित्र द्वारा उपभोक्ताओं से सरस दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की होम डिलिवरी के विरूद्व उत्पाद पर अंकित अधितम खुदरा मूल्य के अतिरिक्त अधिकतम रू0 1/— प्रतिलीटर/किलोग्राम का सुविधा शुल्क लिया जा सकता है।
8. जिला दुग्ध संघों द्वारा स्वंय के खर्चे पर सरस मित्रों को वर्ष में एक बार सरस लोगो युक्त दो टी—शर्ट एवं दो कैप निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावेगी जिसे सरस मित्रों द्वारा सरस दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के वितरण के समय पहनना अनिवार्य होगा।
9. जिला दुग्ध संघों द्वारा स्वंय के खर्चे पर सरस मित्रों को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु 20—30 लीटर क्षमता का इन्सुलेटेड़ बॉक्स उनके द्वारा जमा करवायी गई सुरक्षा राशि के विरूद्व उपलब्ध करवाया जावेगा।
10. जिला दुग्ध संघों द्वारा ग्राहकों में सरस दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के प्रति जागरूकता एवं सरस ब्राण्ड के प्रचार—प्रसार हेतु सरस मित्रों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवायेंगे।
11. सरस मित्र का व्यवहार उपभोक्ताओं/डेयरी बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर संचालनकर्ताओं से शालीन/मिलनसार होगा। सरस मित्र के विरूद्व उपभोक्ताओं/डेयरी बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर संचालनकर्ताओं से शिकायत प्राप्त होने पर कार्य निरस्त किया जा सकेगा।
12. सरस मित्र द्वारा कार्य छोडने या समाप्त करने की स्थिति में उसकों उपलब्ध करवाया गया इन्सुलेटेड़ बॉक्स जिला र्दुध संघ में जमा करवाना होगा एवं संबंधित डेयरी बूथ/शॉप एजेंसी/पार्लर संचालनकर्ता से अबकाया प्रमाणपत्र प्राप्त कर संबंधित दुग्ध संघ में जमा कराने के उपरान्त ही उसकी जमा सुरक्षा राशि लौटायी जा सकेगी।